भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग
ब्लॉक-2, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003

<u>विज्ञापन सं. ए-12024/01/2021-स्था.-डीबीटी</u>

बायोटेक्नोलॉजी विभाग में सीधी भर्ती के आधार पर वैज्ञानिक 'सी' के पदों को भरने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

- **प्रारंभिक तारीख:** 16.10.2021
- ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की **अंतिम तारीख:** 15.11.2021

1. **पद का नाम : वैज्ञानिक 'सी'**
2. **विवरण: ग्रुप 'ए' राजपत्रित पद (अननुसचिवीय और वैज्ञानिक)**
3. **वेतनमान : सातवें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स लेवल**-11 **(रु. 67,700-208700/-)**
   [पूर्व-संशोधित वेतनमान रु. 15600-39100 + रु 6600/- ग्रेड वेतन]
4. **रिक्तियां : पांच** (05) [**अनारक्षित-03, ओबीसी**-02]*

**नोट : भरे जाने वाले पदों की संख्या भिन्न हो सकती है। विभाग इस विज्ञापन के उपरांत उत्पन्न होने वाले पदों की प्रक्रिया के अंतर्गत पैनल की वैधता की तारीख तक, प्रमुख सूची तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल रिक्तियों को भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। विभाग के पास कोई कारण दर्शाए बिना इन रिक्तियों को निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित है।*

5. पद की प्रकृति: स्थाई

6. पात्रता शर्तें:

6.1 राष्ट्रीयता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

6.2 आयु सीमा: सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।
आयु सीमा में कोई भी छूट केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगी।

<u>नोट I</u> *: विभाग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली जन्म की तारीख वह मानी जाएगी जो मैट्रिक या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र में या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र में जो मैट्रिक के समकक्ष हो या किसी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए मैट्रिक के एक रजिस्टर से उद्धरण में दर्ज की गई है। उक्त उद्धरण को विश्वविद्यालय के उचित प्राधिकारी या*

उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इन प्रमाणपत्रों को केवल पद के लिए आवेदन करते समय जमा करना आवश्यक है। आयु से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथ पत्र, नगरपालिका सरकार निगम से जन्म संबंधी दस्तावेज, सेवा रिकॉर्ड और इसी तरह के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

***नोट II**: उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म की तारीख को विभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा और इसके परिवर्तन के लिए बाद में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या न ही उसकी अनुमति दी जाएगी।*

***नोट III**: उम्मीदवार को पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी जन्मतिथि दर्ज करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद के किसी चरण में सत्यापन करने पर उनकी जन्मतिथि में उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई तारीख से कोई भिन्नता पाई जाती है, तो विभाग द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।*

6.3 शैक्षिक अर्हता:

अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवन विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस (एम.एस.सी.) या बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस (बी.वी.एससी.) या बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) या जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.) या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक)।

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवन विज्ञान में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एचडी.) या पशु चिकित्सा विज्ञान में मास्टर डिग्री (एम.वी.एससी.) या जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक)।

नोट I: उम्मीदवार के पास आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख को भारत में किसी केंद्रीय या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षण संस्थान जो संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है, की वैध डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। (यदि अंतिम डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो उम्मीदवार विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त अनंतिम डिग्री जमा कर सकते हैं)

नोट II: वे उम्मीदवार जो ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी योग्यताएं रखते हैं जिन्हें सरकार द्वारा इन व्यावसायिक तथा तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता दी गई है, वे भी आवेदन के पात्र होंगे।

6.4 अनुभव: न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद औद्योगिक या शैक्षणिक संस्थानों या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संगठन में अनुसंधान और विकास में (विभागीय उम्मीदवारों को छोड़कर) पांच वर्ष का अनुभव।

7. चयन की विस्तृत योजना

केवल उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जो निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-I) में ऑनलाइन प्राप्त होंगे। चयन प्रक्रिया एकल चरण की प्रक्रिया होगी जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार/व्यक्तिगत चर्चा शामिल होगी। यदि आवश्यक समझा जाता है, तो जांच प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल होगी जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाली किसी अन्य केंद्र सरकार की एजेंसी या संगठन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

7.1 जांच और चयन प्रक्रिया: जांच-सह-छटनी समिति और विशेषज्ञ चयन समिति आदि की संरचना केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगी। निर्धारित आवश्यक अर्हताएं न्यूनतम हैं और उनके होने मात्र से ही उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र नहीं हो जाते हैं। अर्हताओं में उल्लिखित अनिवार्य और वांछनीय अर्हताओं के 'समकक्ष' के रूप में विचार किया जाना आवेदनों की जांच करने के लिए गठित संबद्ध समिति के विवेक पर निर्भर होगा। पात्र उम्मीदवारों को एक सुपरिभाषित मानदंड के आधार पर जांच-सह-छटनी समिति द्वारा शॉटलिस्ट किया जाएगा, जिसमें विज्ञापन में निर्धारित वांछनीय योग्यता और/या अनुभव से अधिक और/या किसी विशेष क्षेत्र में विभाग की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार अर्हता/अनुभव शामिल हैं। शॉटलिस्ट किए गए आवेदकों को साक्षात्कार/व्यक्तिगत चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। विभाग साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को एक उचित सीमा, अर्थात रिक्तियों की संख्या के दस गुणा तक सीमित रखेगा।

7.2 उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनकी शैक्षणिक योग्यता, पद संबंधी विशिष्ट अपेक्षाओं से संबंधित कार्यकलापों के संदर्भ में क्षेत्र में योगदान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए उनकी व्यापक समझ और दृष्टिकोण और उनके नेतृत्व संबंधी गुणों के आधार पर किया जाएगा। प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में चयन किया जाएगा। तथापि, साक्षात्कार के लिए अर्हक अंक निर्धारित करने का विवेकाधिकार विभाग के पास होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों में से योग्यता क्रम में उम्मीदवारों का एक आरक्षित पैनल भी तैयार किया जाएगा जो साक्षात्कार की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। पैनल का उपयोग विज्ञापित के रूप में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के साथ-साथ उन रिक्तियों को भरने के लिए किया जा सकता है जो सेवानिवृत्ति/इस्तीफा/मृत्यु आदि किसी भी कारण से इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के बाद उत्पन्न हो सकती हैं।

8. आवेदन कैसे करें:

I. पात्र उम्मीदवारों को केवल निम्नलिखित पोर्टल - https://dbtindia.gov.in/whats-new/vacancies पर वैध ईमेल-आईडी का उपयोग करके ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन भरना और जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। यह ऑनलाइन पोर्टल एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों को संबंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने से पहले इस संबंध में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की दायित्व है कि वे आवेदन भरते समय इन निर्देशों का पालन करें और स्पष्ट सुपाठ्य प्रमाण

पत्र/दस्तावेज अपलोड करें। अपाठ्य/गलत प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को अपलोड करने से उम्मीदवारी निरस्त हो सकती है। आवेदनों पत्रों की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

II. नोट: अनुभव/रोजगार प्रमाणपत्र में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्यमुक्ति की तिथि, धारित पद और अनुभव से संबंधित किए गए कार्य/अनुसंधान कार्य के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

III. सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत उम्मीदवारों को परिशिष्ट-II में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप में, जिस संगठन में कार्यरत हैं, उसके सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अपलोड करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना ऐसे उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने पोर्टल में इसे अपलोड करने के लिए समय रहते अपने विभाग/संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।

IV. शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, समुदाय (एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में) और अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र की प्रतियां आवेदन के साथ अपलोड की जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

V. आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज स्व-सत्यापित होने चाहिए।

VI. ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू करने से पहले, एक उम्मीदवार के पास जेपीजी प्रारूप में विधिवत स्कैन की गई अपनी फोटो और हस्ताक्षर होने चाहिए जिसमें फोटोग्राफ का आकार 25 केबी से अधिक तथा 3 केबी से कम न हो तथा हस्ताक्षर का आकार 10 केबी से अधिक तथा 1 केबी से कम न हो । अन्य दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए आवश्यक फ़ाइल आकार इस प्रकार है:-

दस्तावेज़ का नाम	**अधिकतम आकार**	**अपलोड करने का प्रारूप**
जाति प्रमाण पत्र	200केबी	पीडीएफ/जेपीईजी
शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र	500केबी	पीडीएफ/जेपीईजी
रोजगार की एनओसी	200केबी	पीडीएफ/जेपीईजी
प्रकाशन का विवरण	200केबी	केवल पीडीएफ
पेटेंट का विवरण	200केबी	केवल पीडीएफ

VII. प्रकाशन और पेटेंट का विवरण केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपलोड करना होगा।

VIII. आवेदकों को विज्ञापन के समक्ष केवल एक आवेदन जमा करना चाहिए। एक से अधिक आवेदनों पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

9. निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र:

I. उम्मीदवार जातिगत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होंगे जब उक्त उम्मीदवार जिस जाति विशेष से संबंधित है, उस जाति को केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित जातियों की सूची में शामिल किया गया हो। यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में स्वयं को सामान्य श्रेणी में बताता है, लेकिन बाद में विभाग को अपनी श्रेणी को आरक्षित श्रेणी में बदलने के लिए लिखता है, तो ऐसे अनुरोध पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में भी इसी तरह के सिद्धांत का पालन किया जाएगा।

II. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/बेंचमार्क दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे संबंधित नियमों में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार है। उनके पास इस तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए नियमों में निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी होने चाहिए, और ये प्रमाण पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए।

10. **शुल्क:** सभी उम्मीदवारों (महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/बेंच मार्क दिव्यांग/पूर्व सैनिकों को छोड़कर) को रूपये 2000/- (दो हजार रूपये मात्र) के (अप्रतिदेय) शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। उन्हें अपना ऑनलाइन आवेदन भरते समय वाउचर विवरण/भुगतान विवरण का उल्लेख करना चाहिए।

<u>नोट I:</u> निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों (जब तक शुल्क के छूट का दावा नहीं किया जाता है) को निरस्त कर दिया जाएगा।

<u>नोट II:</u> भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए इस शुल्क को रखा जाएगा।

<u>नोट III:</u> उम्मीदवारों को शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की लागत (नेट-बैकिंग/डेबिट कार्ड-क्रेडिट कार्ड, आदि के माध्यम से) स्वयं वहन करनी होगी।

11. सामान्य शर्तें:

I. संबंधित भर्ती नियम विभाग की वेबसाइट (www.dbtindia.gov.in) पर निम्नलिखित लिंक विनियम एवं दिशानिर्देश < नियम और विनियम (Regulation & Guidelines < Rules & Regulations) के तहत उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पहले इनका भली भांति अवलोकन करें।

II. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे विभाग की वेबसाइट www.dbtindia.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई भी संयोजन/शुद्धिपत्र अथवा कोई भी अद्यतन सूचना केवल विभाग की वेबसाइट पर ही डाली जाएगी।

III. उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा ना करें ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर व्यापक लोड के कारण पोर्टल पर लॉग इन करने में अक्षमता/असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।

IV. जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए न बुलाया गया/न ही नियुक्ति हेतु चयन किया गया, उन उम्मीदवार से प्राप्त किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

V. सभी पात्र उम्मीदवारों के परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में विभाग के साथ किसी भी संप्रेषण पर सामान्यत: विचार नहीं किया जाएगा।

VI. यदि कोई उम्मीदवार पद के लिए अपने आवेदन पत्र में लिखता/लिखती है कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है, लेकिन बाद में विभाग को अपनी श्रेणी को आरक्षित श्रेणी में बदलने के लिए अनुरोध करता/करती है, तो ऐसे अनुरोध पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

VII. उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन जमा करने के बाद उसकी उम्मीदवारी वापस लेने संबंधी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

12. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए संपर्क विवरण: अपने आवेदन पत्र, उम्मीदवारी आदि के संबंध में किसी भी मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के मामले में, उम्मीदवार कार्य दिवसों में 10.00 बजे से 17.00 बजे के बीच दूरभाष संख्या- 011-24362363 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए *recruitment.dbt@nic.in* पर ईमेल भेजा जा सकता है।

13. चिकित्सा जांच और पुलिस सत्यापन: साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले निर्धारित चिकित्सा जांच और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। चिकित्सा जांच में विफलता या चिकित्सा जांच और पुलिस सत्यापन में योग्य न होने की स्थिति में, चयनित उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा।

14. परिवीक्षा: चयनित उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे और उन्हें भारत सरकार द्वारा समुचित समझे जाने वाले किसी भी प्रशिक्षण पर भेजा जा सकता है।

15. सेवा के दायित्व:

I. इस अधिसूचना के तहत नियुक्त वैज्ञानिक भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

II. नियुक्त वैज्ञानिक, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए इस प्रकार के प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम संबंधी व्यापक अनुदेश प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे जो भारत या विदेश में प्रदान किए जाते हैं।

III. यदि किसी वैज्ञानिक को किसी प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए नामित किया जाता है जिसकी अवधि 6 माह या अधिक है या कोई वैज्ञानिक जिसे विदेश में किसी प्रशिक्षण या किसी निजी फर्म या भारत में किसी उद्योग के लिए नामित किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसे न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्र सरकार की सेवा करने संबंधी एक बॉन्ड भरना होगा। यदि वह किसी भी कारण से प्रशिक्षण के दौरान अथवा ऐसे प्रशिक्षण की समाप्ति के तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभाग से अपनी सेवा को छोड़ने का निर्णय करता/करती है तो वह प्रशिक्षण की कुल लागत की प्रतिपूर्ति हेतु बाध्य होगा/होगी।

16. **नियुक्ति की गारण्टी**: यह अधिसूचना किसी भी तरह से अधिसूचित पदों पर नियुक्ति की गारंटी नहीं देती है और विभाग अनुमोदित मानदंडों के अनुसार अधिसूचित पदों पर नियुक्ति के लिए एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है।

17. **अनर्हता**:

I. सभी उम्मीदवारों को अधिसूचना/परिशिष्ट- I में निर्धारित मानदण्डों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। उन्हें इस संबंध में विभाग के साथ न्यूनतम संपर्क की भी सलाह दी जाती है। किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने अपनी नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए अवैध साधनों/स्रोतों/प्रतिरूपण/संतुष्टि का उपयोग किया है तथा इस मामले में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

II. उम्मीदवार द्वारा फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, या ऐसे विवरण दिए गए है जो झूठे हैं या जिनमें किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया हैं या आगामी पैरा में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को किया गया है, उम्मीदवार आपराधिक अभियोजन के लिए स्वयं उत्तरदायी बनाने के अलावा स्थाई रूप से अथवा किसी विशिष्ट अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा

   i. विभाग द्वारा आयोजित किसी चयन से
   ii. केंद्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी सेवा से, और
   iii. यदि वह पहले से सरकार के अधीन किसी सेवा में है तो उपयुक्त नियमों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई होगी।

III. कोई भी व्यक्ति, क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा; बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले

व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है; तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के अनुपालन से छूट दी जा सकती है।

IV. चयन के दौरान या नियुक्ति के बाद यह पाया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार/वैज्ञानिक का आपराधिक रिकार्ड है, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे चयन प्रक्रिया के बाद के किसी भी चरण में उपस्थित होने से/ नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं इस मामले में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

V. किसी भी प्रकार के प्रचार में शामिल होने की स्थिति में उम्मीदवारी के लिए अपात्र माने जाएंगे।

विज्ञापन के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति के मामले में विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

ह०
(दीपक शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार